न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

क्रमांक : 15/2015

चन्द्रप्रकाशी बाई पत्नि श्री बिरधीलाल जाति मीणा निवासी बोरदा तहसील मांगरोल जिला बारां

..... वादनी

♠ बनाम ♠

1. रामचन्द्र पुत्र श्री बिरधीलाल जाति मीणा निवासी बोरदा तहसील मांगरोल जिला बारां
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां

....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91, 92 आरटीएक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री हिम्मता राम मेहरा (आरएएस)
वकील वादी : श्री कर्मवीर शर्मा
दायरा दिनांकः 23.03.2015 निर्णय दिनांक : 02.08.2017

प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादनी ने अपनी पुस्तेनी आराजी को अपने पुत्रो की आपसी सहमति अनुसार बंटवारा कर काबिज व दाखिल करवा दिया, तब से सभी अपनी अपनी हिस्सा आराजी पर काबिज काश्त है जिससे वादनी को भी कोई ऐतराज आज तक नही रहा है। पारिवारिक बंटवारा वादनी के हिस्से में ग्राम जलोदा तेजाजी तहसील मांगरोल जिला बारां में स्थित आराजी खसरा नं0 246 रकबा 3.58 है0 में से मुताबिक इकरार नाम दिनांक 18.02.2006 प्रतिवादी कम 1 ने अपने खातें से 0.64 है वादनी के कब्जे में होना स्वीकार कर जीवन यापन का आधार माना था तथा यह भी उल्लेख किया था कि वृद्धावस्था में जो भी वादनी की सेवा करेगा वह आराजी उसको दे सकती है। वादनी की हिस्सा आराजी खसरा नं0 246 रकबा 3.58 है0 में से 0.64 है0 को प्रतिवादी कम 1 ने अपने खाते में होने का फायदा उठा कर स्वयं के नाम सम्पूर्ण खाते पर किसान केडिट कार्ड लेकर भूमि को रहन कर दिया, जो गत 3 वर्षो से वादनी को हिस्सा आराजी पर फसल करने पर विवाद पैदा करने लगा है। प्रतिवादी कम 1 वादनी की सेवा न करके नाजायज परेशान करता है। वादनी अपनी हिस्सा आराजी खसरा नं0 246 रकबा 3.58 है0 में से 0.64 है0 को अपनी कब्जा काश्त के आधार पर मुताबिक इकरार नाम दिनांक 18.02.2006 के आधार पर प्रतिवादी कम 1 द्वारा नाजायज परेशान करने से अपनी हिस्सा आराजी को स्वयं के पृथक खाते दर्ज करवाना चाहती है। अतः सादर डिक्री बहक वादनी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल

की जावे कि प्रतिवादी कम 1 के खाते दर्ज ग्राम जलोदा तेजाजी तहसील मांगरोल में तेजाजी खसरा नं0 246 रकबा 3.58 है0 में से 0.64 है0 अच्छी बुरी के आधार पर वादनी के खाते दर्ज कर वादनी को खातेदार घोषित किया जावे।

उक्त आशय का वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। हमने पत्रावली का आद्योपान्त अध्ययन, अवलोकन व मनन किया। राजस्व वाद के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया। सम्पूर्ण विवेचनोपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुचा हूं कि वादिया अपंजिकृत इकरारनामा दिनांक 18.02.2006 के आधार पर खसरा नं0 246 रकबा 3.58 है0 में से 0.64 है0 भूमि खातेदारी में घोषित करवाना चाहती है। चूंकी वादिया ने अपने हिस्से की भूमि को जरिये हक त्याग अपने पुत्रो के नाम करवा चुकि है एवं अब ईकरारनामे के आधार पर खसरा नं0 246 रकबा 3.58 है0 में से 0.64 है0 अपने नाम करवाना चाहती है जो नियमानुसार किया जाना संभव नही है।

अतः वाद वादिया खारिज किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 02.08.2017 को कोर्ट केम्प मांगरोल सरेईजलास में सुनाया गया।

(हिम्मता राम मेहरा)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल